# उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

## ( विधि शाखा )

म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision )वाद सं0 :–128 / 2023–24

प्रदुमन पाठक

**बनाम**

काई देवी वगै0

20.07.24

1. अपीलार्थी 1. श्री प्रदुमन पाठक पिता–स्व0 मंगलदत्त पाठक ग्राम–कोटेंगसेरा थाना–गुमला जिला–गुमला के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–47 / 2020–21 दिनांक–03.10.2023 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में Limitation Act. की धारा–05 के तहत् विलम्ब क्षांत हेतु अनुरोध के साथ रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के Mutation Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया।

२. गुमला अंचन के मौजा–कोटेंगसेरा के थाना सं0 – 111, खाता सं0– 76, प्लॉट सं0 – 1434, रकबा – 1.10 एकड़ एवं प्लॉट संख्या – 1477, रकबा – 1.07 एकड़ से संबंधित भूमि का भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला के द्वारा दिनांक 03.10.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध में लाया गया है। प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के हिस्से की है और आपसी बंटवारे से प्राप्त होने के बाद से अब तक उस पर दखल कब्जा है और खेती बारी कर आबाद करते आ रहे हैं। प्रश्नगत भूमि को जब चिंता देवी बिना हक सरोकार के गैरकानूनी रूप से बिक्री करने हेतु भू–धारण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की कोशिश की तब विवाद शुरू हुआ क्योंकि पूर्व में हुए आपसी बंटवारे के बाद उक्त भूमि पर चिन्ता देवी का कोई दखल कब्जा या नैतिक अधिकार नहीं है।

३. अपीलार्थी की वंशावली निम्न प्रकार है :–

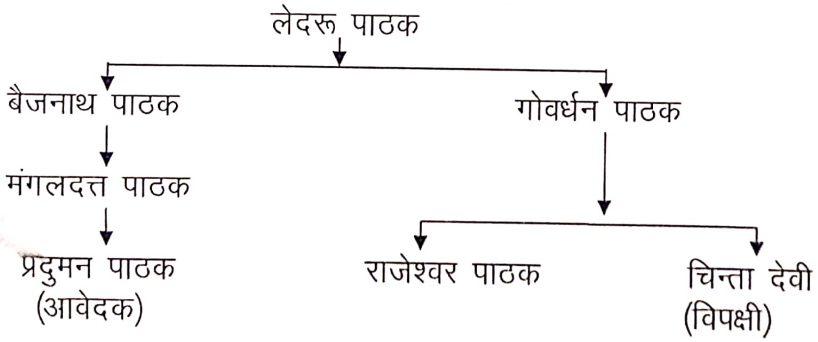


4. उत्तरवादी के जमीन बिक्री के प्रयास के कारण आपसी पंचनामा बंटवारा के शर्तानुसार अपीलार्थी ने सिविल सूट संख्या – O.S – 47/17 माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया है, जिसमें उत्तरवादी उपस्थित हुए हैं और वाद अभी लंबित है। सिविल सूट लंबित रहने के बावजूद उत्तरवादी चिन्ता देवी ने चुपके से प्रश्नगत भूमि की बिक्री काई देवी के नाम कर दी और

Scanned with OKEN Scanner

अंचल कर्मचारी की मिली भगत से भूमि पर क्रेता बिक्रेता का दखल है और उक्त जमीन पर किसी प्रकार का विवाद या मुकदमा लंबित नहीं है के आधार पर अंचलाधिकारी द्वारा दाखिल खारिज कर दिया गया, जबकि न्यायालय में पहले से O.S – 47/17 लंबित है। दाखिल खारिज वाद सं0 – 1589R/27/18-19 है।

5. उत्तरवादी चिन्ता देवी के इस कृत्य की जानकारी होने पर अपीलार्थी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में दाखिल खारिज रद्द करने के लिए अपील वाद दायर किया गया जिसका वाद सं0 – 47/21 है। अपीलार्थी के द्वारा राजस्व कर्मचारी की झूठी रिपोर्ट पर हुए दाखिल खारिज की जॉच के लिए उपायुक्त कार्यालय को आवेदन दिया जिसपर जॉच के बाद अधोहस्ताक्षरी के द्वारा कर्मचारी की रिपोर्ट को गलत पाते हुए तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जॉच रिपोर्ट की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को भेजते हुए संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई करते हुए वाद को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये निर्देश को भी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला ने दरकिनार कर दिया और अपने स्थानंतरण का नोटिफिकेशन के बाद नये स्थान पर जाते–जाते बैक डेट से दिनांक 03.10.2023 को आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध यह रिवीजन वाद अपीलार्थी द्वारा लाया गया है।
6. अपीलार्थी के पूर्वजों का खतियानी जमीन के कुल रकबा– 19.72 एकड़ में से चिन्ता देवी के पिता गोवर्धन पाठक ने कुल 16.00 एकड़ से भी अधिक जमीन जो उनके हिस्से से काफी अधिक है कि बिक्री और बक्शीशनामा लिख दिए। जिसके कारण अपीलार्थी के पिता की ओर से सिविल कोर्ट में बंटवारा वाद दाखिल किया था। लेकिन गोवर्धन पाठक द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में शपथ नामा दिया गया कि उनके बिमारी की देख भाल करते समय चिन्ता देवी ने जबरदस्ती अंगूठा निशान लगवाकर काफी जमीन बेटी चिन्ता देवी व पुत्र राजकेश्वर पाठक के नाम करा लिया है, जो गलत है।
7. प्रश्नगत खाता नं0 – 76, प्लॉट नं0– 1195, रकबा– 0.25 एकड़ घर बारी खाता नं0 – 77, प्लॉट नं0– 1114, रकबा– 0.64 एकड़ एक ही खाता प्लॉट रकबा की भूमि को राजकेश्वर पाठक निबंधित पट्टा सं0 – 2688/85 दिनांक – 08.11.85 एवं चिन्ता देवी निबंधित पट्टा सं0– 2814/84 दिनांक – 19.12.84 गोवर्धन पाठक से निबंधन करा लिया। प्रश्नगत प्लॉट पर अपीलार्थी का घर अवस्थित है, जिसमें रहते हैं और अपीलार्थी का दखल कब्जा है। अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता गुमला द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अपीलार्थी के द्वारा निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

(1) सिविल केस नं0– O.S-47/2017 की छाया प्रति।
(2) कार्यपालक दण्डाधिकारी के न्यायालय में किया गया शपथ पत्र की छाया प्रति।
(3) आपसी बंटवारा पंचनामा के आधार पर की छाया प्रति।
(4) उपायुक्त द्वारा कराए गए जॉच प्रतिवेदन की छाया प्रति।
(5) गोवर्धन पाठक द्वारा पुत्री चिन्ता देवी को लिखा गया ब बक्शीश नामा पट्टा की छाया प्रति।

Scanned with OKEN Scanner

(6) गोवर्धन पाठक द्वारा पुत्र राजकिशोर पाठक को लिखा गया बक्शीश नामा पट्टा की छाया प्रति।

उत्तरवादी का पक्ष

8. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद में पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन वाद दायर किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। प्रश्नगत भूमि मौजा – कोटेंगसेरा, थाना नं0– 111, थाना–गुमला जिला – गुमला अन्तर्गत खाता नं0 – 76, प्लॉट सं0– 1434, 1477 रकबा क्रमशः 1.10 एकड़ एवं 1.07 एकड़ कुल रकबा – 2.17 एकड़ भूमि से संबंधित है। प्रश्नगत भूमि का खतियान रैयत लेदरू पाठक बल्द रघुनाथ पाठक कौम ब्राह्मण सकल दीपी साकिन देह के नाम बना है एवं लेदरू पाठक के दो पुत्र (1) बैजनाथ पाठक (2) गोवर्धन पाठक थे।

9. खतियानी रैयत लेदरू पाठक की मृत्यु के पश्चात् गोवर्धन पाठक अपने हिस्से की जमीन में से अपनी विवाहिता पुत्री चिन्ता देवी पति श्री महावीर पाठक के नाम निबंधित बक्शीश पट्टा संख्या– 2814, दिनांक 19.12.1984 को प्रश्नगत भूमि सहित कुल 5.00 एकड़ भूमि बक्शीश कर दिये। बक्शीश नामा के आधार पर चिन्ता देवी प्रश्नगत भूमि पर शांति पूर्वक दखलकार होकर जोत चास कर खेती बारी करती रही और अंचल अधिकारी गुमला के समक्ष दाखिल खारिज का आवेदन दी। अंचल अधिकारी गुमला ने जाँच पड़ताल कर चिन्ता देवी के दखल के आधार पर दाखिल खरिज वाद संख्या – 473/1996–1997 दिनांक– 19.07.1997 स्वीकृत करते हुए शुद्धि पत्र निर्गत किया। दाखिल खारिज स्वीकृत होने के पश्चात् चिन्ता देवी द्वारा सरकार को लगान अदा करते आ रहे है। उपरोक्त पूरी प्रक्रिया के दौरान अपीलार्थी एवं उनके दादा द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

10. चिन्ता देवी प्रश्नगत भूमि को उत्तरवादी संख्या–1 कांई देवी पति – महतो खड़िया, ग्राम – कोटेंगसेरा थाना– गुमला जिला–गुमला को निबंधित पट्टा संख्या–1850/1836 दिनांक 34.12.2018 के माध्यम से बिक्री कर दी। उत्तरवादी कांई देवी पति–महतो खड़िया प्रश्नगत भूमि पर शांति पूर्वक दखलकार होकर जोत चास कर खेती बारी करती आ रही है और अंचल अधिकारी गुमला के समक्ष दाखिल खारिज हेतु आवेदन दाखिल की। अंचल अधिकारी गुमला ने प्रश्नगत भूमि पर कांई देवी का दखल–कब्जा के आधार पर जाँच पड़ताल करते हुए दाखिल खारिज वाद संख्या 1589 आर. 27/2018–19 दिनांक 03.05.2019 को स्वीकृत करते हुए शुद्धि पत्र निर्गत किया गया। उत्तरवादी कांई देवी द्वारा सरकार को प्रत्येक वर्ष लगान का भुगतान कर रसीद अपने नाम से प्राप्त करती आ रही है। प्रश्नगत भूमि का वर्ष–2021–22 तक लगान भुगतान किया गया है।

11. अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में दाखिल खारिज मेमो ऑफ अपील दाखिल आवेदन के पारा 3 में स्पष्ट किया है कि 1989 में बंटवारा वाद संख्या 32/89 आवेदक के पिता जी द्वारा दाखिल किया गया था जिसमें प्रश्गत भूमि को भी शामिल किया गया था जबकि प्रश्नगत भूमि वक्शीश पट्टा संख्या–2814 दिनांक–19.12.1984 को ही चिन्ता देवी को वक्शीश की जा चुकी थी। बंटवारा वाद में प्रश्नगत भूमि को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं था इससे वक्शीश में दी जा चुकी जमीन प्रभावित नहीं होती है क्योंकि चिन्ता देवी को पक्षकार नहीं बनाया गया था।

Scanned with OKEN Scanner

12. अपीलार्थी का यह कथन कि उत्तरवादी चिन्ता देवी बिना हक सरोकार के उत्तरवादी कांई देवी को बिक्री की है इस संबंध में चिन्ता देवी का हक स्पष्ट किया गया है जो निम्न न्यायालय में दाखिल आवेदन में आवेदक द्वारा दर्ज किया गया है। प्रश्नगत वाद सिर्फ उत्तरवादी को परेशानी करने के नियत से किया गया है। उत्तरवादी चिन्ता देवी द्वारा बिक्री की है वह अपने दखल कब्जा की भूमि को जायज बिक्री की है एवं उत्तरवादी कांई देवी वर्तमान में भी दखलकार है। अपीलार्थी द्वारा O.S सुट सं0 47/2017 में उत्तरवादी कांई देवी को 2023 में नोटिस किया गया है, जिसका लिखित जवाब दोनों उत्तरवादीगण न्यायालय में दाखिल कर चुके है,जो सिविल जज सिनियर डिविजन I के न्यायालय में लम्बित है।

13. प्रश्नगत रिवीजन वाद की भूमि बोनाफाईट डिस्पुट लैण्ड स्वत्व का मामला बनता है। इसे रेभन्यू कोर्ट से फैसला चाहते है, जबकि अपीलार्थी द्वारा स्वत्व वास्ते सिविल न्यायालय वाद दायर कर चुके है, इसे मद्देनजर रखते हुए इस वाद को अविलम्ब खारिज किया जाय।

उत्तरवादी के द्वारा निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के रिवीजन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुनने एवं समर्पित दस्तावेजों तथा निम्न अपीलीय न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि का विवाद मूलतः अधिकार तथा Title से संबंधित है।

अतः वाद की कार्रवाई बिना गुण दोषों पर विचार किए समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संबंधित अंचल अधिकारी को भी भेजें।

**लेखापित एवं संशोधित**

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.12.21 16:14:07 +05:30
Location: 192.168.5.105

Scanned with OKEN Scanner